रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 192] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 28, 1978/आश्विन 6, 1900

No 192] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 28, 1978/ASVINA 6, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना स० 69 आई० टी० सी० (पी एन)/78

नई दिल्ली 28 सितम्बर, 1978

आयात व्यापार नियंत्रण

विषय:—अनगढ़े ताम्बे का आयात—अप्रैल 1978—मार्च 1979 के लिए आयात नीति।

(मिसिल स० आईपीसी/43/4/78):—खनिज तथा धातु व्यापार निगम और सर्वश्री हिन्दुस्तान कॉपर लि०, द्वारा वास्तविक उपयोक्ताओ के लिए ताम्बे के संभरण के संबंध मे वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 26–आई टी सी (पी एन) /78, दिनांक 17 अप्रैल, 1978 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा ताम्बे के संभरण के लिए 1 अक्तूबर, 1978 से निम्नलिखित क्रियाविधि अपनाई जाएगी —

(1) पात्र वास्तविक उपयोक्ता अपनी आवश्यकताओ को सीधे ही खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास पंजीकृत करवायेंगे। सर्वश्री हिन्दुस्तान कॉपर लि०, अलग से ताम्बे की उपलब्ध मात्रा की एक वितरण सूची तैयार करेगा जिस में उन वास्तविक उपयोक्ताओं के नाम होंगे जिनको वह ताम्बे का संभरण करेगा और तदनुसार प्रत्येक को संभरण की जाने वाली मात्रा भी इस सूची मे दर्शाई जाएगी। यह सूची हिन्दुस्तान कॉपर लि०, द्वारा प्रत्येक सप्ताह के आरम्भ में खनिज तथा धातु व्यापार निगम को भेजी जाएगी। इस सूची में दर्शाए गए आंकड़ो के मामले में खनिज तथा धातु व्यापार निगम केवल शेष मात्रा का ही संभरण करेगा।

(2) वाइन्डिंग तार और कम्प्यूटर उद्योगों के मामले में खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा ताम्बे का संभरण (1) उनकी 1976-77 या 1977-78 इन दो वर्षों मे से किसी एक वर्ष जो भी एकको के लिए लाभकारी हो के दौरान ताम्बे की कुल बिक्री और उसका 20% और जोड़ कर या (2) जनवरी—जून, 1978 के दौरान मासिक औसत कुल बिक्री इनमे जो भी अधिक हो के आधार पर किया जाएगा।

(3) उन मामलों मे जो उपर्युक्त (2) के अन्तर्गत नही आते हैं किन्तु जिन्हे जुलाई, 1978 से पूर्व हिन्दुस्तान कॉपर लि०, या खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा ताम्बे का वास्तव में संभरण कर दिया गया है तो जैसा भी मामला हो हिन्दुस्तान कॉपर लि०/खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा (1) उनकी 1976-77 या 1977-78 मे से किसी भी एक वर्ष के दौरान जो एकक के लिए लाभकारी हो ताम्बे की कुल बिक्री और उस 20 प्रतिशत और जोड़कर या (2) दिसम्बर, 1977 से जून, 1978 के दौरान मासिक औसत कुल बिक्री इन मे जो भी अधिक हो के आधार पर किया जा सकता है। (खनिज तथा धातु व्यापार निगम ऐसे वास्तविक उपयोक्ताओं की सहायता करेगा जो उपर्युक्त (1) के अनुसार तयार की गई हिन्दुस्तान कॉपर लि० की सूची में नही आते है या उनकी आवश्यकताओं को हिन्दुस्तान कॉपर लि० लागू फार्मूला के अनुसार पूरा करने में पूर्णतः असमर्थ हो)।

(4) ऐसे लघु पैमाना एकक जो 1976-77 या 1977-78 में एक उपर्युक्त लाइसेन्स या पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अधीन हाउस वायरिंग केबलों के निर्माण में लगे हुए थे और जिन्हें उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के सरकारी आदेश स० एस० ओ० 444(ई) दिनांक 13-7-78 के कारण

ताबे का उपयोग करने की अनुमति दी गई है उन्हें उक्त दो वर्षों में से किसी भी वर्ष में, जो एकक के अनुकूल हों, उनके द्वारा वास्तव में उपभोग की गई एल्युमीनियम के 50 प्रतिशत के बराबर वजन में ताम्बा खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा दिया जा सकता है । यह उनके द्वारा ये प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा (1) वास्तविक खपत के आंकड़े के रूप में सनदी लेखापाल का संतुष्टिप्रद प्रमाणपत्र और (2) उक्त वर्षों में (जैसा कि सामान्य रूप से आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक 1978-79 में दिया गया है) उनकी पात्रता/क्षमता (यथा अनुज्ञप्त/पंजीकृत) का प्रयोजन प्राधिकारी का सत्यापन । जब तक वे इस प्रकार तय की गई अपनी हकदारियों को उचित रूप से प्राप्त कर सकते हैं तब तक सम्बद्ध एकक, यदि वे 1 अप्रैल, 1978 से पहले हाउस वायरिंग केबलों के निर्माण के लिए संबंधित प्रायोजक प्राधिकारियों के साथ वास्तव में पंजीकृत किए गए थे और संबंधित मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के योग्य हैं तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा उन्हें अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1978 के दौरान प्रत्येक महीने के लिए प्रत्येक को 2 टन ताम्बे की मात्रा दी जा सकती है । एक बार यह आंकड़ा स्थापित हो जाने पर यह मात्रा पूर्ण मासिक हकदारी के प्रति समंजित कर दी जाएगी ; पिछले एकल आदेशों के आबटन को पूर्ण करने का कोई प्रश्न उस विशेष महीने के अतिरिक्त नहीं होगा जिसमें पूर्ण हकदारी पंजीकृत की गई है ।

(5) जो एकक 1978-79 के दौरान प्रथम बार वास्तविक उपयोक्ताओं के रूप में पंजीकृत/अनुज्ञप्त हैं वे आयात नीति 1978-79 के अन्तर्गत सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा अपनी मांगे उचित रूप से प्रायोजित कराने के बाद और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (मुख्यालय) में अन्तर-विभागीय समिति—जो सभी निषेध मदों के लिए सम्पूरक लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदनपत्रों पर निर्णय लेती है, द्वारा इन मांगों की निकासी कर देने के बाद खनिज तथा धातु व्यापार निगम के साथ अपनी आवश्यकताएं पंजीकृत करा सकते हैं ।

(6) उपर्युक्त (5) के प्रावधान उन विद्यमान वास्तविक उपयोक्ताओं पर भी लागू होंगे जो अतिरिक्त मात्रा (एम एम टी सी/एच सी एल के साथ पंजीकृत जुलाई—सितम्बर, 1978 अवधि के लिए पूरी न की गई आवश्यकता सहित) अर्थात् उपर्युक्त (2), (3) और (4) में निर्धारित आधार से अधिक मात्रा के लिए दावा करते हैं ।

3. वास्तविक उपयोक्ताओं को अपनी आवश्यकताएं इस सार्वजनिक सूचना में निहित उपबन्धों के अनुसार नए सिरे से पंजीकृत करानी होंगी । एच सी एल/एम एम टी सी सम्बद्ध व्यक्तियों को तुरन्त उस अग्रिम धनराशि को लौटाएंगे जो ऊपर निर्धारित उपर्युक्त प्रतिमान/क्रियाविधि के अनुसार गिनी गई मात्रा से अधिक हो ।

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO. 69-ITC(PN)/78)

New Delhi, the 28th September, 1978

IMPORT TRADE CONTROL

Subject :—Import of Copper Un-wrought—Import Policy for April 1978—March, 1979.

F. No. IPC/43/4/78.—Attention is invited to Department of Commerce Public Notice No. 26-ITC(PN)/78, dated the 17th April, 1978, in regard to release of copper to the Actual Users by the MMTC and M/s. Hindustan Cooper Limited.

2. On a further consideration, it has been decided that for release of cooper by the MMTC, the following procedure will be adopted with effect from 1st October, 1978 :—

(i) Eligible Actual Users will register their requirements with the MMTC directly. The Hindustan Cooper Limited will separately draw up a distribution list of the quantity of copper available with them, giving the names of the Actual Users to whom they will supply cooper and the quantity to be supplied to each accordingly. The list will be sent by Hindustan Cooper Limited to MMTC at the start of each month. In the case of units appearing in this list, the MMTC will be suuply only the balance quantity.

(ii) in the case of winding wire and commulator industries, release of copper will be made by the MMTC on the basis of (i) their off-take of copper during either of the two years, 1976-77 or 1977-78, as may be favourable to the units, plus 20 per cent thereof or (ii) the average monthly off-take during January—June 1978—whichever is higher.

(iii) In the case of those not covered by (ii) above but who have been in fact supplied copper, by Hindustan Copper Limited or MMTC, prior to July 1978, the material may be given—hy HCL/MMTC, as the case may be—on the basis ot (i) their off-take of copper (imported or indigenous) during either 1976-77 or 1977-78, as may be favourable to the unit, plus 20 per cent thereof, or (ii) the average monthly off-take during December, 1977 to June, 1978—whichever is higher. (The MMTC will service such of these Actual Users as do not figure in the HCL list prepared as per (i) above or to the extent HCL is not in a position to service their requirements itself in toto according to the applicable formula).

(iv) Such small scale units as had been engaged in 1976-77 or 1977-78 in the manufacture, under a proper licence or registration certificate of house wiring cables and have been allowed to use copper, by virtue of the Governmen' order No. S.O. 444(E) in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) dated 13-7-1978, may be given copper by the MMTC, in weight equal to 52 per cent of the aluminium actually consumed by them in either of the said two years—whichever is favourable to the unit. This will be done after they produce (i) satisfactory Chartered Accountant's certificate as to the actual consumption figure and (ii) the sponsoring authority's verification of their eligibility/capacity (as licensed/registered) in the said years (as laid down generally in the Hand Book of Import-Export Procedures, 1978-79). Till they can get their entitlements properly settled thus, the units concerned, if they had in fact been registered with the respective sponsoring authorities for the manufacture of house wiring cables prior to the 1st April, 1978 and are able to produce the relative, original registration certificate, may be given by MMTC for each month a quantity of two tonnes of copper each, on ad-hoc basis. during each of the months of October, November and December, 1978. This quantity will be adjusted against the 'full' monthly entitlement once this figure is established ; there will be no question of any back-log of allo'ment being made good, except for the particular month in which the full entitlement is registered.

(v) Units which are registered/licensed as Actual Users for the first time during 1978-79, may register their requirements with the MMTC, after their demands are properly sponsored by the sponsoring authority concrend under the Import Policy, 1978-79 and these are cleared by the Inter-Departmental Committee at the CCI&E (Headquarters) which decides the applications for the grant of supplementary licences for all banned items.

(vi) The provisions of (v) above will apply also to those existing Actual Users, who claim additional quantitities (including any unserviced requirement for July—September, 1978 period registered with MMTC/HCL i.e., over and above the basis set down in (ii), (iii) and (iv) above.

3. Actual Users will be required to register their requirements afresh in accordance with the provisions contained in this Public Notice. The HCL/MMTC will refund immediately to the persons concerned any earnest money which is in excess of the quantities worked out according to the above norms/procedure set down above.

सार्वजनिक सूचना सं० 70-आई टी सी(पी एन)/78

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1978

विषय : आयात नीति 1978-79

मिसिल सं० आईपीसी/3/15/78) :—समय-समय पर यथा संशोधित वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 22–आई टी सी (पी एन)/78, दिनांक 3 अप्रैल, 1978 के अन्तर्गत प्रकाशित 1978-79 की आयात नीति के परिशिष्ट 10 में निहित परन्तुकों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यह निश्चय किया गया है कि खाद्य तेल के मामले में खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की अनुमति केवल उन्हीं पक्की संविदाओं के मद्दे दी जाएगी जिनमें निष्पादन की संबंधित तिथियों से 60 दिनों के भीतर, माल की सपुर्दगी की व्यवस्था हो। तदनुसार 1978-79 की आयात-नीति के परिशिष्ट 10 के अन्तर्गत शर्त (5)(1) को संशोधित करके निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा :—

"माल के लिए आदेश/खरीद के पहले ही पक्के ठेके किए जाने चाहिए। लेकिन खाद्य तेल के मामले में, ऐसे ठेकों में उनके निष्पादन की तिथि से अधिकतम 60 दिनों के अन्दर ही माल की सपुर्दगी की व्यवस्था होनी चाहिए ; खाद्य तेल के आयात के लिए कोई भी रियायती अवधि उपलब्ध नहीं होगी।"

3. यह भी निश्चय किया गया है कि (क) मिट्टी हटाने वाली मशीनरी (ख) प्रिंटिंग मशीनरी (ग) मशीनरी औजार और (घ) सिनेमैटोग्राफिक उपस्कर के अनुमेय फालतू पुर्जों के आयात के लिए सार्वजनिक सूचना सं० 53–आईटीसी(पी एन)/78 दिनांक 28 जुलाई, 1978 में की गई संशोधन सं० 131(13) द्वारा प्रदान की गई सुविधा परिशिष्ट 5 में शामिल मदों के लिए उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। तदनुसार उक्त संशोधन की प्रथम पंक्ति में दर्शाए गए शब्द "अनुमेय फालतू पुर्जे" और "का" के बीच में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे :—

"लेकिन परिशिष्ट 5 में शामिल मदों को छोड़कर"

4. यह भी निश्चय किया गया है कि सार्वजनिक सूचना सं० 67–आई टी सी (पी एन)/78 दिनांक 14 सितम्बर, 1978 के संशोधन सं० 4 द्वारा निविष्ट किए गए पैरा 40-क की सुविधा ऊनी चिथड़ों/रद्दी ऊन के आयात के लिए उपलब्ध नहीं होगी। तदनुसार उक्त संशोधन की प्रथम पंक्ति में "सरणीबद्ध मदों" और "सूची बद्ध" शब्दों के बीच में निम्नलिखित शब्द निविष्ट किए जाएंगे :—

"(लेकिन, ऊनी चियड़ों/रद्दी ऊन को छोड़कर)"

का० वें० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

PUBLIC NOTICE NO. 70-ITC(PN)/78

New Delhi, the 28th September, 1978

Subject :—Import Policy, 1978-79.

F. No. IPC/3/15/78.—Attention is invited to the provisions contained in Appendix 10 of the Import Policy, 1978-79 published under the Department of Commerce Public Notice No. 22-ITC(PN)/78, dated the 3rd April, 1978 as amended from time to time.

2. It has been decided that, in the case of edible oils, import under OGL will be allowed only against firm contracts which provide for delivery of the goods within 60 days from the respective dates of their execution. Accordingly, condition (5)(i) under Appendix 10 of the Import Policy, 1978-79, shall be amended to read as under :—

"Firm contracts should be entered into before the material is ordered/purchased. In the case of edible oils, however, such contracts should also provide for the delivery of the goods not later than 60 days from the date of their execution; no grace period will be available for the purposes of import of edible oils."

3. It has also been decided that the facility provided by the amendment No. 131(13) in Public Notice No. 53-ITC(PN)/78, dated the 28th July, 1978, for the import of permissible spares of (a) earth moving machinery, (b) printing machinery, (c) machine tools and (d) cinematographic equipment, should not be available to the items covered by Appendix 5. Accordingly, the following words will be inserted between the words "permissible spares" and the word "of", appearing in the first line of the said amendment :—

"excluding, however, the items covered by Appendix 5".

4. It has also been decided that the facility of paragraph 40A inserted by Amendment No. 4 of the Public Notice No. 67-ITC(PN)/78 dated the 14th September, 1978, shall not be available for the import of woollen rags/shoddy wool. Accordingly, the following words shall be inserted between the words "canalised items" and "listed" in the first line of the said Amendment :—

"(excluding, however, woollen rags/shoddy wool)".

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978